

पत्रांक-5/विधि-31/2008-09-233(5)/रा0/

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

फैक्स
ई-मेल ✓
सेवा में,

दीपलाल दीपक,
सरकार के अवर सचिव।

समाहर्ता,
अरवल/औरंगाबाद/मुजफ्फरपुर/नवादा/शेखपुरा/
किशनगंज/सीतामढ़ी/पश्चिमी चम्पारण एवं समस्तीपुर।

पटना-15, दिनांक :- 3/12/2015


विषय:- दिनांक-31.03.2009 तक शीर्ष-N2029001040001 के अंतर्गत असमायोजित अभिश्रवों के समायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 8,78,99,900=35 (आठ करोड़ अठहत्तर लाख निनानवे हजार नौ सौ एवं पैतीस पैसा) रूपया मात्र आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय

उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटन आदेश सं0-35(5)/रा0 दिनांक-29.10.2009 स्मार पत्र संख्या-136(5)/रा0 दिनांक-25.08.2015, पत्र संख्या-146 (5)/रा0 दिनांक-10.09.2015, 163(5)/रा0 दिनांक-30.09.2015 पत्र संख्या-196(5)/रा0 दिनांक-04.11.2015 एवं पत्र संख्या-210(5)/रा0 दिनांक-02.12.2015 के संदर्भ में कहना है कि असमायोजित अभिश्रवों को समायोजित करने हेतु वांछित राशि आवंटित किया गया था, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, मामला अधिकाई व्यय से सम्बंधित है।

अतः अनुरोध है कि आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


30/12/15
(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।


30.12.15